101

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1498–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–17 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, टिमरनी प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2016–17.

1– श्रीमती टीकाबाई बेवा रामदास तिवारी
निवासी पेट्रोल पम्प के पीछे कुलहरदा
जिला हरदा
2– श्रीमती शकुंतला पत्नी महेश प्रसाद अवस्थी
निवासी ग्राम आलनपुर
तहसील टिमरनी जिला हरदा
3– हरिशंकर आत्मज रामदास तिवारी
निवासी लोधी मंदिर के पास कुलहरदा
जिला हरदा
4– गणेश आत्मज रामदास तिवारी
निवासी तिवारी टेंट हाउस कुलहरदा
जिला हरदा
5– लक्ष्मीनारायण आत्मज रामदास तिवारी
निवासी लोधी मंदिर के पास कुलहरदा
जिला हरदा
6– शिवशंकर आत्मज रामदास तिवारी
निवासी लोधी मंदिर के पास कुलहरदा
जिला हरदा
7– राजेश आत्मज रामदास तिवारी
प्राचार्य शारदा बिहार
आवासीय विद्यालय भोपाल
8– संजय आत्मज रामदास तिवारी
निवासी पेट्रोल पम्प के पीछे कुलहरदा
जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– गोविंद तिवारी आत्मज रामदास तिवारी
स्ंचालक सिंगजाजी पार्वती शिक्ष्ज्ञण समिति हरदा
निवासी कुलहरदा
2– राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक मण्डल टिमरनी
3– पटवारी, पटवारी हल्का नं. 23
ग्राम खिड़की द्वारा राजस्व निरीक्षक
टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र सिहोनिया, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम खिड़की स्थित उसके स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 229/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक टिमरनी द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–12/2016–17 दर्ज कर दिनांक 9–4–17 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 2–11–2017 को आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 2 राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर चांदे मुनारे स्थापित हैं, या नहीं इस सम्बन्ध में बिना अनावेदक कमांक 3 पटवारी से प्रतिवेदन लिये बिना अनावेदक कमांक 1 से दुरभिसंधि कर उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनमाना सीमांकन किया गया है ।

(2) अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा सीमांकन की प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया हे और समस्त खाता धारकों तथा पड़ोसी कृषकों को व्यक्तिगत सूचना पत्र नहीं दिया गया है ।

(3) पूर्व में सीमांकन दल द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 2/अ–12/2015–16 में दिनांक 5–9–2016 को स्थापित नक्शे के आधार पर विधिवत सीमांकन किया गया था, जिसे अनावेदक कमांक 1 द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से मिली

भगत कर दुबारा सीमांकन कराया गया है, जो पूर्ण रूप से अवैध होकर सम्पूर्ण प्रकिया विधि में अकृत एवं शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा बंदोबस्त की मेड़ को आधार बनाकर सीमांकन किया जाना बताया गया है, जबकि इस सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इसका उल्लेख आदेशिका में हैं । अतः सीमांकन की प्रकिया विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) निगरानी मेमों में उठाये गये आधार कमांक 3, 4, 5, एवं 6 सारहीन हैं, वास्तविक तथ्य यह है कि तथाकथित सीमांकन प्रकरण में खसरा कमांक 229/1 की भूमि में से शेष विकय की गई 2.00 एकड़ भूमि का सीमांकन किया गया है ।

(2) रामदास आत्मज मोहनलाल द्वारा खसरा कमांक 229/1 में की 2.00 एकड़ भूमि अनावेदक कमांक 1 को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 2–8–2002 के माध्यम से विकय की गई है और विक्रीत भूमि का नक्शा बनाया गया है एवं सीमांकन द्वारा विकय की गई भूमि, जिसका खसरा कमांक 229/3 है, पृथक किया गया है । आवेदकगण द्वारा विकय की गई भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, विरोध अथवा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा कय की गई भूमि खसरा कमांक 229/1 की भूमि का अंश है, अतः अनावेदक कमांक 1 द्वारा कय की गई भूमि की सीमा बताकर, सीमाचिन्ह स्थापित करने के जो निर्देश दिये गये हैं, इसे विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है ।

(3) सीमांकन के द्वारा अनावेदक कमांक 1 केता को 2.00 एकड़ भूमि का अंश पर कब्जा देने का आवेदकगण का कर्तव्य एवं दायित्व है, किन्तु अनावेदक कमांक 1 द्वारा विधिवत कय की गई 2.00 एकड़ भूमि का आधिपत्य प्राप्त न कर सके, इस दुर्भावना से आवेदकगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए भ्रमित करने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख में संलग्न सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की विधिवत तामीली नहीं कराई गई है । नक्शे में सर्वे कमांक 229/3 का बटान नहीं है, फिर भी राजस्व निरीक्षक

द्वारा कैसे सीमांकन किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह सर्वे कमांक 229/3 का बटान कायम कर, आवेदकगण सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की विधिवत तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में पुनः सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य पुनः सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर